प्रेस नोट दिनांक 28.06.2024
थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

थाना फतेहगंज पश्चिमी #bareillypolice द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तीन अभियुक्तों को 205 ग्राम अवैध स्मैक (कीमती करीब 24 लाख 60 हजार रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी हाईवे के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पश्चिमी के नेतृत्व में थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27/28.06.2024 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान रबड़ फैक्ट्री के गेट से 100 कदम की दूरी पर भिटौरी रेलवे स्टेशन की तरफ तीन अभियुक्त 1.सोनू उर्फ तालिब पुत्र इसराईल निवासी वार्ड नं0 07 कादरी मस्जिद के पास कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली 2.मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद नईम निवासी वार्ड न0 11 नई बस्ती कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली 3.सजर अली पुत्र रिफाकत अलवी निवासी मोहल्ला सराय वार्ड नं0 13 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली को 205 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 24 लाख 60 हजार रुपये है के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर मु0अ0सं0 220/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-
1.सोनू उर्फ तालिब पुत्र इसराईल निवासी वार्ड नं0-07 कादरी मस्जिद के पास थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली ।
2.मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद नईम निवासी वार्ड नं0-11 नई बस्ती कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
3.सजर अली पुत्र रिफाकत अलवी निवासी मोहल्ला सराय वार्ड नं0-13 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।

बरामदगीः-205 ग्राम अवैध स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 24लाख 60 हजार रुपये)

पूछताछः– अभियुक्तगण से पूछताछ में यह जानकारी हुई कि यह स्मैक उन्होने मिलक जिला रामपुर से खरीदी थी जिससे खरीदी थी उसका नाम पता नहीं जानते है मोबाइल नम्बर जानते है । उक्त स्मैक को रबड़ फैक्ट्री के गेट के पीछे जंगल में रहकर अपना अपना फूटकर में बेचते है । जिस किसी को भी आवश्यकता होती है वह हमसे यही जंगल में आकर स्मैक ले जाता है। आज भी स्मैक बेचने आये थे कि पकड़े गये।

आपराधिक इतिहासः-अभियुक्त सोनू उर्फ तालिब उपरोक्त-
1.मु0अ0सं0 394/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली
2.मु0अ0सं0 220/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

अभियुक्त मोहम्मद सुहेल उपरोक्त-
1.मु0अ0सं0 143/22 धारा 307/323/504/506/34 भादवि थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली
2.मु0अ0सं0 307/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली
3.मु0अ0सं0 220/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

अभियुक्त सजर अली उपरोक्त-
1.मु0अ0सं0 601/23 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना भुता जनपद बरेली ।
2.मु0अ0सं0 220/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1.प्रभारी निरीक्षक श्री धनंन्जय कुमार पाण्डेय थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
2.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
3.हे0का0 955 मो0 सलीम थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
4.हे0का0 175 अनिल कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
5.का0 1649 हिमांशु थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।